

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 64 /2021 दिनांक : 26.03.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. /50/2021 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा डॉ. सरोज सीवर (RJ0717), तत्कालीन अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-06, जयपुर महानगर-I हाल अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, जालोर को दिनांक 09.03.2021 से 26.03.2021 तक 18 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 27.03.2021 से 29.03.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 18.03.2021 से 26.03.2021 तक 09 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/87/2011/ 1996

दिनांक : 26.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-I को उनके पत्रांक 1513 दिनांक 19.03.2021 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. सरोज सीवर (RJ0717), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, जालोर।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-06, जयपुर महानगर-I
5. श्री राजेश कुमार गजरा (RJ0684), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर-I
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर-I
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार